न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 147/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 21.07.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. कृपाल सिंह आत्मज स्व० श्री सहेल सिंह मृतक जरिये कायमुकामान
   1/1. राजवीर सिंह पुत्र स्व० कृपाल सिंह
   1/2. कुलदीप सिंह पुत्र स्व० कृपाल सिंह
   1/3. सोहन सिंह पुत्र स्व० कृपाल सिंह
   1/4. मनप्रीत कौर पुत्री स्व० कृपाल सिंह
   1/5. श्रीमती रणजीत सिंह पत्नी स्व० कृपाल सिंह
   निवासीगण ग्राम कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी राजस्थान
2. गुरमुख सिंह पुत्र स्व० सहेल सिंह
3. मिट्टू सिंह पुत्र स्वर्गीय नत्था सिंह
4. सुलखन सिंह पुत्र स्व० नत्था सिह
5. गुरनाम कौर बैवा स्व० नत्था सिंह
   निवासीगण ग्राम कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी राजस्थान

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. कश्मीर कौर पुत्री स्व० सहेल सिंह पत्नी योगेन्द्र सिंह
2. मनजीत कौर पुत्री स्व० सहेल सिंह पत्नी सिकन्दर सिंह
   हाल निवासीगण ग्राम नमाना पोस्ट नमाना तहसील व जिला बून्दी की छतरियो के पास बून्दी राजस्थान निवासीगण ग्राम कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी राजस्थान
3. अमरजीत कौर पुत्री स्व० नत्था सिह पत्नी रूपसिंह निवासी ग्राम कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी राजस्थान हाल निवास सावलपुरा गादेगाल के पास तहसील व जिला बून्दी
4. राजकौर पुत्री स्व० नत्था सिंह पत्नी जीवन सिंह निवासी ग्राम कालपुरिया तहसील व जिला बून्दी राजस्थान हाल निवास 2–बी–7 कहारो का मोहल्ला कन्सुआ कोटा
5. सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी, जिला बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक कुमार मीणा अभिभाषक – अपीलांट
श्री रामकुमार दाधीच, श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक – रेस्पो0

अति. सं. आयुक्त
कोटा

::निर्णय::

दिनांक 29.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 262/अपील/2018 बउनवान कश्मीर कौर वगे0 बनाम कृपाल सिंह वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 (कश्मीर कौर एवं मनजीत कौर) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 ग्राम कालपुरिया जो कि खातेदार सुहेल सिंह के फौत हो जाने के उपरांत उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया, के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 (कश्मीर कौर एवं मनजीत कौर) को मृतक खातेदार की पुत्रियां होना तथा पुत्रियों के अपने पिता के खाते की कृषि भूमि में हित निहित होना वर्णित करते हुए तदानुसार उक्त आशय की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को निरस्त करते हुए प्रकरण मृतक खातेदार सुहेल सिंह के सभी विधिक वारिसान की जांच की जाकर बाद सुनवाई नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी को निर्णय दिनांक 06.12.2021 से प्रतिप्रेषित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्याय एवं संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा संख्या 228 की रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 230 की 23 बीघा 17 बिस्वा दो किता की 42 बीघा वाके ग्राम कालपुरिया पटवार हल्का कालपुरिया तहसील बून्दी जिला बून्दी राज० में स्थित चली आ रही है। जो कि मृतक खातेदार सहेल सिंह पुत्र हाकम सिंह साकिन कालपुरिया व मृतक खातेदार नत्था सिंह पुत्र सहेल सिंह साकिन कालपुरिया के फौती इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 की अपील 13 वर्ष बाद पेश की गयी, किन्तु फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को निरस्त करवाने हेतु रेस्पो० नम्बर 1 व 2 के द्वारा अपील पेश की गयी तथा स्वयं को रेस्पो० नम्बर 1

29.7.2025
अति. आयुक्त
कोटा

व 2 के द्वारा मृतक खातेदार सहेल सिंह की पुत्रियां होना बताया तथा उक्त अपील विषयक आराजी में अपने हक अधिकार बताते हुऐ इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया जबकि मृतक खातेदार सहेल सिंह व नत्था सिंह जो कि सहेल सिंह का पुत्र है, दोनो का फौती इन्तकाल एक साथ नियमानुसार वारिसान की जांच कर इन्तकाल संख्या 246 दर्ज किया गया और मृतक खातेदार के स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया गया, जो कि निरन्तर खातेदार व काबिज काश्तकार चले आ रहे है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने और लगातार 13 वर्ष तक खातेदारी में दर्ज रहने तथा उक्त कृषि आराजी पर स्वतन्त्र रूप से काबिज काश्त होने के बाद अचानक कोई भी व्यक्ति इन्तकाल की फौरी व संक्षिप्त कार्यवाही कर किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारो को निरस्त नही करवा सकता। क्योकि इन्तकाल की संक्षिप्त कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्राप्त नही होते है। किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश कर अपने हक अधिकार तय करवा सकता है। यदि रेस्पो० नम्बर 1 व 2 सहेल की पुत्रियां है तो सहेल सिंह की मृत्यु की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, किन्तु फिर भी रेस्पो० नम्बर 1 व 2 के द्वारा 13 वर्ष बाद नामान्तरण संख्या 246 की पेश की गयी है और रेस्पो० नम्बर 1 व 2 द्वारा 13 वर्ष तक फौती नामान्तकरण की अपील क्यो पेश नहीं की गयी, इसका कोई भी कारण अंकित नही किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कानून के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है, इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार इन्तकाल की समुचित कार्यवाही में कोई भी हक अधिकार तय नही होते है और यदि अपील विषयक आराजी में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के कोई हक अधिकार बनते हैं तो अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश कर अपने हक अधिकार तय करवाने के बाद ही इन्तकाल को निरस्त करवाया जा सकता है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कानून के सिद्धान्तो के विपरीत जाकर मनमर्जी रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.2021 निरस्त किया जावे तथा फौती इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

अति. सं. आयुक्त
कोटा

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा मृतक खातेदार सहेल सिंह पुत्र हाकम सिंह साकिन कालपुरिया व मृतक खातेदार नत्था सिंह पुत्र सहेल सिंह साकिन कालपुरिया के फौती इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 की अपील 13 वर्ष बाद पेश की गयी। रेस्पो० नम्बर 1 व 2 के द्वारा स्वयं को मृतक खातेदार सहेल सिंह की पुत्रियां होना बताया तथा उक्त अपील विषयक आराजी में अपने हक अधिकार बताते हुऐ इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया जबकि मृतक खातेदार सहेल सिंह व नत्था सिंह जो कि सहेल सिंह का पुत्र है, दोनो का फौती इन्तकाल एक साथ नियमानुसार वारिसान की जांच कर इन्तकाल संख्या 246 दर्ज किया गया। इन्तकाल की संक्षिप्त कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्राप्त नही होते है। यदि रेस्पो० नम्बर 1 व 2 सहेल की पुत्रियां है तो सहेल सिंह की मृत्यु की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, किन्तु फिर भी रेस्पो० नम्बर 1 व 2 के द्वारा 13 वर्ष बाद नामान्तरण संख्या 246 की पेश की गयी है और रेस्पो० नम्बर 1 व 2 द्वारा 13 वर्ष तक फौती नामान्तकरण की अपील क्यो पेश नहीं की गयी, इसका कोई भी कारण अंकित नही किया गया है। इस प्रकार इन्तकाल की समुचित कार्यवाही में कोई भी हक अधिकार तय नही होते है और यदि अपील विषयक आराजी में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के कोई हक अधिकार बनते हैं तो अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश कर अपने हक अधिकार तय करवाने के बाद ही इन्तकाल को निरस्त करवाया जा सकता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अत्यधिक विलम्ब को कण्डोन किया जाकर रेस्पो0 1 एवं 2 की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.2021 निरस्त किया जावे तथा फौती इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र 1 एवं 2 को मृतक खातेदार सहेल सिंह की पुत्रिया होना मानते हुए प्रश्नगत आराजी पर हित निहित होने से रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त किया गया है तथा मृतक खातेदार सहेल सिंह के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरकरण तस्दी करने हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार बून्दी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा उक्त नामांतरकरण की जानकारी होने के उपरांत अपील पेश की गयी थी। केवल मियाद के आधार पर रेस्पो0 के अधिकार समाप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाकर रेस्पो0 क्र.1 एवं 2

29.7.2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार सहेल सिंह की पुत्रियां होने से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होना माना है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 (कश्मीर कौर एवं मनजीत कौर) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 ग्राम कालपुरिया जो कि खातेदार सुहेल सिंह के फौत हो जाने के उपरांत उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया, के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 (कश्मीर कौर एवं मनजीत कौर) को मृतक खातेदार की पुत्रियां होना तथा पुत्रियों के अपने पिता के खाते की कृषि भूमि में हित निहित होना वर्णित करते हुए तदानुसार उक्त आशय की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 को निरस्त करते हुए प्रकरण मृतक खातेदार सुहेल सिंह के सभी विधिक वारिसान की जांच की जाकर बाद सुनवाई नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी को निर्णय दिनांक 06.12.2021 से प्रतिप्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 246 दिनांक 11.12.2004 के विरूद्ध रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 13 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अनुसार अपीलाधीन नामांतरकरण 246 दिनांक 11.12.2004 की जानकारी दिनांक 26.05.2018 को पटवारी हल्का से होना जाहिर किया गया है। रेस्पो0 1 एवं 2 के उक्त प्रार्थना–पत्र का अपीलांट द्वारा खण्डन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित बहस पेश करते हुए अपील विलम्ब से पेश किये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय 06.12.2021 में विवेचन किया गया है कि "रेस्पो0 द्वारा न तो उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का जवाब दिया और न हीं प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के खण्डन में कोई शपथ–पत्र या साक्ष्य पेश किये गये।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब का कारण युक्तियुक्त एवं संतोषजनक नहीं होने के उपरांत भी उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of*

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches. इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.* इस प्रकार रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में 13 वर्षों तक प्रकरण की जानकारी नहीं होने का कारण संतोषप्रद प्रकट नहीं होने के उपरांत भी विलम्ब को कण्डोन किये जाने का उदारतापूर्ण दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि बिना युक्तियुक्त कारण के अपील पेश करने में हुये विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने से न्यायालयों में अनावश्यक लिटिगेशन होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 न्यायोचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 262/अपील/2018 बउनवान कश्मीर कौर वगे0 बनाम कृपाल सिंह वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

29.7.2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा